14.09.2023

वाद पुकारा गया। पुकार पर राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजन (पोक्सो) श्री मोहन पंत उपस्थित आए।

अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह जमानत पर मय विद्वान अधिवक्ता श्री किशन सिंह फर्स्वाण उपस्थित आए।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजन (पोक्सो) द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र कागज संख्या– 76ख पेश कर कथन किया कि साक्षी को जरिये समन तलब किया गया था, साक्षी आज उपस्थित नही है। साक्ष्य हेतु एक तिथि प्रदान करने की कृपा की जाए। स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना। स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। साक्षी को जरिये समन तलब किया जाए। अभियोजन को निर्देशित किया जाता है कि साक्षी को अगली नियत तिथि पर उपस्थित करना करना सुनिश्चित करे।

पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 16.10. 2023 को पेश हो।

(धर्म सिंह)
विशेष सत्र न्यायाधीश,
चमोली।